



पत्त

185

न्यायालय श्रीमान राजस्व मन्त्रालय ग्वालियर १ म.प्र. १

सि.नं. 1876-III-14

स्नो लिपिपड एडवेंचर लिमिटेड हाल ओरछा तहसील  
ओरछा जिला टीकमगढ़ म.प्र. द्वारा प्रशासक एवं व्यवस्था  
-पक अजीत सिंह तनय श्री ए.बी. सिंह निवासी हाल  
ओरछा तहसील ओरछा जिला टीकमगढ़ म.प्र.

--- रिचीजनकर्ता

बनाम

विश्वजीत सिंह तनय श्री ज्ञानेन्द्र सिंह जू देव निवासी  
करनलुंज बागिया महाराजपुरा तहसील व जिला टीकमगढ़  
१ म.प्र. १

-- रिस्पोडेन्ट

रिचीजन प्रतिकूल आदेश आधुनिक महोदय सागर अंभाग सागर म.प्र.  
के आदेश दिनांक 4/6/2014 के प्रतिकूल जिनके द्वारा अनुविभागीय  
अधिकारी निवाड़ी जिला टीकमगढ़ के अपील प्रकरण क्रमांक- 86/  
अपील/2013-14 आदेश दिनांक 30/05/2014 को क्रियान्वयन पर  
रुक्मण दिया गया एवं यह भी निर्देश दिया गया कि मौके पर  
रिचीजनकर्ता विवाद उत्पन्न करने का प्रयास न करे -

रिचीजन अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959

महोदय,

यह कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कानूनी खामी प्राथमिक  
रूप से दृष्टिगोचर होती है जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा विचार किया  
जाना आवश्यक है।

प्रकरण का सविस्तर सार इस प्रकार है कि रिचीजनकर्ता का मध्य प्रदेश  
शासन के आमंत्रण पर ओरछा में वैतवा नदी के तट पर पर्यटन को बढ़ावा देने के  
उद्देश्य से पर्यटन कार्य में जिस कारण वर्ष 2008-09 में केम्प आयोजित करता चला  
आ रहा है एवं 20 फिट चौड़ा रास्ता मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुमोदन प्राप्त  
होने के बाद कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक- 1674/18/भू-अधि./रा. नि.  
का./2010 दिनांक 23/09/2010 द्वारा 20 फिट चौड़ा रास्ता सीमांकन कर दिये

R/gk

